POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 18.10.2025

1. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा एक्स सर्विस मेन के ईसीएचएस कार्ड को फर्जी तरीके से दुरुपयोग कर अनुपयुक्त मरीजो को अस्पताल में भर्ती कराकर लाभ लेने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कम्पनी के व 07 ECHS कार्ड की छायाप्रतियां बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **18.10.2025** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा एक्स सर्विस मेन के ईसीएचएस कार्ड को फर्जी तरीके से दुरुपयोग कर मरीजो को अस्पताल में भर्ती कराकर लाभ लेने वाले 04 अभियुक्त 1.दानिश पुत्र यामिन 2.प्रदीप गौर पुत्र कुमरपाल 3.सुमित पुत्र जतन सिंह 4.पूरन सिंह पुत्र हौरीलाल को तिकोना पार्क सेक्टर- 110 नोएडा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा एक्स सर्विस मेन के ECHS कार्डो को फर्जी तरीके से दुरुपयोग कर फर्जी मरीजो को ECHS कार्ड पर अंकित नाम व पते से अस्पताल में भर्ती करा देते है तथा अभियुक्तगणों द्वारा भर्ती कराये गये मरीजो के परीजनों से कुछ रूपये भर्ती कराने से पहले व बकाया तय शुदा रूपये हास्पिटल से मरीजो के डिस्चार्ज होने के बाद ले लेते है जिससे अभियुक्तगण उपरोक्त अवैध लाभ कमाते है पकड़े गये अभियुक्तगण में से उनका एक साथी प्रदीप नोएडा के हास्पिटल में नौकरी करता है।

1. ये सभी अभियुक्तगण मिलकर ECHS कार्डो को फर्जी तरीके से दुरुपयोग कर फर्जी मरीजो को ECHS कार्ड पर अंकित नाम व पते से अस्पताल में भर्ती करा देते है
2. ये सभी अभियुक्तगण भर्ती कराये गये मरीजो के परीजनों से कुछ रूपये भर्ती कराने से पहले व बकाया तय शुदा रूपये हास्पिटल से मरीजो के डिस्चार्ज होने के बाद ले लेते है।
3. ये सभी अभियुक्तगण इससे पूर्व भी दिल्ली एन.सी.आर क्षेत्रो में ECHS पैनल में आने वाले हास्पटिलो में काफी मरीजो को भर्ती कराकर अवैध लाभ अर्जित कर चुके है।
4. ये सभी अभियुक्तगण जिला बुलन्दशहर के रहने वाले है तथा अभियुक्त दानिश द्वारा डी-फार्मा की शिक्षा ग्रहण की गयी है।
5. ये सभी अभियुक्तगण अधिकतर पकड़े जाने के डर से वाट्सएप्प काल का प्रयोग कर बात करते थे ताकी पुलिस इनको ट्रेस न कर सके।
6. अभियुक्तगण पकड़े जाने के डर से एक जगह न रहकर निरंतर स्थान बदलते रहते हैं ताकि पुलिस इनको ट्रेस न कर सके।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

1. दानिश पुत्र यामिन निवासी ग्राम खनौदा थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 21 वर्ष, शिक्षा डी-फार्मा
2. प्रदीप गौर पुत्र कुमरपाल निवासी ग्राम भावसी थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 23 वर्ष, शिक्षा- कक्षा- 12
3. सुमित पुत्र जतन सिंह निवासी ग्राम भावसी थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 33 वर्ष, शिक्षा - कक्षा- 12
4. पूरन सिंह पुत्र हौरीलाल निवासी मौहल्ला छिपीवाडा कस्बा व थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर उम्र करीब - 60 वर्ष शिक्षा- कक्षा -03

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण--

1. 04 मोबाइल फोन कम्पनी
2. 07 ECHS कार्ड की छायाप्रतियां

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत--

मु0अ0सं0 518/2025 धारा 318(4)/61(2)/3(5) बीएनएस थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।

2. थाना सेक्टर-20 पुलिस ने अवैध/प्रतिबन्धित पटाखों की बिक्री एवं भण्डारण करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 43 किलो 100 ग्राम अवैध/प्रतिबन्धित पटाखे बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **18.10.2025** को **थाना सेक्टर-20 पुलिस** द्वारा अवैध पटाखों के भण्डारण करने वाला 01 अभियुक्त वरुण भटिजा पुत्र स्व0 प्रेमनाथ भटिजा को गेट नं- 08 के बिजली घर सेक्टर 20 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त वरुण भटिजा उपरोक्त के कब्जे से 43 किलो 100 ग्राम अवैध/प्रतिबंधित पटाखे बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

वरुण भटिजा पुत्र स्व0 प्रेमनाथ भटिजा निवासी एफ-142 सेक्टर- 20 नोएडा उम्र 47 वर्ष

बरामदगी का विवरण--

कुल 43 किलो 100 ग्राम अवैध/प्रतिबंधित पटाखे बरामद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--मु0अ0स0 324/2025 धारा 223ख/288 बीएनएस व 5/9बी(1)(बी) विस्फोटक अधिनियम थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।